

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with signature of presiding officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
29.09.2026	Nathu Prasad Sahy यह कार्यवाही विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्र. एच.टी/24044/2024 में पारित आदेश दिनांक 26/12/2024 का पालन करवाये जाने हेतु स्वतः संज्ञान लेते हुये प्रारंभ की गई थी, सुनवाई के दौरान उभय पक्षों ने उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखा है। हमें प्रमुख तौर पर यह विचार करना है कि क्या फोरम के आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। फोरम ने अपने आदेश में यह आदेशित किया है कि:- - आवेदक/उपभोक्ता को सतर्कता जांच के आधार पर जारी किया गया अतिरिक्त देयक 39963/- रु निरस्त किया जावे। - माह नवंबर 2015 के पश्चात् जारी देयकों को निरस्त किया जावे। - आवेदक द्वारा पूर्व में भारवृद्धि हेतु जमा की गई राशि रु. 57750/- को जांच कर वापस किया जावे। - आवेदक द्वारा बकाया विद्युत देयक की राशि का भुगतान करने के पश्चात् नया कनेक्शन प्रदाय करने की कार्यवाही किया जावे। उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा दिनांक 15/04/2026 के पत्र के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि:- - आवेदक/उपभोक्ता को सतर्कता जांच के आधार पर जारी किया गया अतिरिक्त देयक 39963/- रु सेप में डिमांड नहीं होने एवं उपभोक्ता द्वारा भुगतान नलही किये जाने के कारण स्वतः ही निरस्त है।	

9 Sho-Moty - Case-12126
Order Sheet (Contd.)

Nathu Prasad Sahu

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with signature of presiding officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	2. माह नवंबर 2015 के पश्चात् जारी देयकों के निरस्त हेतु इस कार्यालय द्वारा कार्यालयीन टीप क्रमांक 5497 दिनांक 26/03/2025 के माध्यम से प्रकरण तैयार कर राशि 370377/-रु समायोजन किये जाने हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया था। सेप मं उक्त बी.पी. का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 10/4/2026 को राशि 37077/- रु का समायोजन उच्च कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। 3. आवेदक द्वारा पूर्व में भारवृद्धि हेतु जमा की गई राशि रु. 57750/- के वापसी बाबत सहायक यंत्री (उपसंभाग) पेंड्रारोड के पत्र क्रमांक 2959 दिनांक 27/03/2026 के द्वारा उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है, अनुमोदन के उपरांत उपभोक्ता के द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को कंपनी के नियमानुसार वापस किया जाना संभव हो सकेगा। 4. आवेदक द्वारा बकाया विद्युत देयक की राशि का भुगतान करने के पश्चात् नया कनेक्शन प्रदाय करने की कार्यवाही के संबंध में सहायक यंत्री (उपसंभाग) पेंड्रारोड द्वारा दिनांक 14/6/2026 को नया कनेक्शन प्रदाय किया गया है जिसका बी.पी क्रमांक 1009960972 है। उत्तरवादी विद्युत कंपनी की ओर से दिनांक 15/06/2026 के पत्र के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि 50,000/- रु की छूट हेतु प्रकरण तैयार कर उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा बकाया विद्युत देयक की राशि का भुगतान करने के पश्चात् नया कनेक्शन प्रदाय करने की कार्यवाही किया जाना था, जिसके संबंध में कुल बकाया राशि माह मई 2019 में	

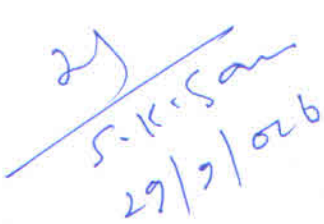
Date of order or Proceeding	Order or proceeding with signature of presiding officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	6,34,410/- रु है जिसमें माह नवंबर 2015 के पूर्व बिल की राशि 1,55,310/- रु एवं माह नवंबर 2015 में पूर्व ऑडिट की राशि 1,08,723/- रु सम्मिलित है। जिसमें आपके द्वारा राशि 50,000/- रु. दिनांक 26/02/2016 को भुगतान किया जा चुका है एवं पूर्व में जमा सुरक्षा निधि राशि 29,608/- रु का समायोजन किया जा चुका है। अतः आपको शेष राशि 1,77,136/- रु भुगतान करना है। आपके द्वारा मेसर्स सुपरटेक रॉक इंडस्ट्रीज प्रो. श्रीमती अंजू साहू के नाम से नये कनेक्शन का आवेदन किया गया था जिसकी कार्यवाही पूर्ण कर मीटर सहित कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है जिसका बी.पी. क्रमांक 1009960972 है। उत्तरवादी विद्युत कंपनी की ओर से दी गई उक्त जानकारी से यह दर्शित होता है कि उसके द्वारा या तो फोरम के आदेश का पालन किया जा चुका है या वह प्रक्रियाधीन है जो शीघ्र ही पूर्ण हो जावेगी। मैं यह उचित नहीं समझता की फोरम ने जो आदेश दिया है उसके पालन के संबंध में उत्तरवादी विद्युत कंपनी को ओर कोई निर्देश जारी किया जावे। तर्क के दौरान उपभोक्ता द्वारा यह कहा गया है कि उन्होंने फोरम के समक्ष जो अनुतोष चाहा था वह संपूर्ण अनुतोष फोरम के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। फोरम के अभिलेख में उपभोक्ता की जो शिकायत संलग्न है उसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि फोरम केवल उपभोक्ता द्वारा चाही गई 25,00,000/- लाख रु क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है। प्रथमतः यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि यह कार्यवाही फोरम के आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु स्वतः संज्ञान पर से प्रारंभ किया गया है। अस्तु यह कार्यवाही केवल यही तक सीमित रहेगी। यदि उपभोक्ता फोरम के आदेश से व्यथित है तो उसे विहित अवधि के	

Order Sheet (Contd.)

Suo-Motu Case no. 12/2026

11

Nathu Prasad Sahu

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with signature of presiding officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	भीतर फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील करनी चाहिए थी। उपभोक्ता के समक्ष यह विकल्प भी मौजूद है कि वह विद्युत विभाग की कार्यवाहियों से हुई हानि के संबंध में वंछित क्षतिपूर्ति हेतु सिविल न्यायालय का सहारा ले सके। इस मामले के संदर्भ में फोरम के आदेश के पालन में उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा कोई विलंब किया गया हो तो आदेश के पालन में हुई विलंब के लिये ब्याज अथवा क्षति के लिए उपभोक्ता को सुनवाई के क्षेत्रधिकार वाले फोरम अथवा सिविल न्यायालय के समक्ष जाना होगा। स्वतः संज्ञान वाले इस मामले में उपभोक्ता ऐसा कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस मामले की कार्यवाही यही पर समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख संबंधित फोरम को वापस किया जावे और इस मामले का अभिलेख व्यवस्थित कर अभिलेखागार में दाखिल किया जावे।  S.K. San 29/7/2026	